न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 54/2020

GCMS NO. : 2020/00124

–:: प्रार्थीया ::–

1. गोदावरीदेवी पत्नी मेगाराम जाति बावरी निवासी बलाडा तहसील जैतारण।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. प्रकाश पुत्र बक्साराम
2. गोविन्द पुत्र बक्साराम
3. राखी पुत्री बक्साराम
4. कोशल्या पुत्र बक्साराम
5. ललिता पुत्री बक्साराम
6. सेणकी पत्नी बक्साराम जाति बावरी निवासी बलाडा तहसील जैतारण।
7. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, जैतारण पाली।
8. पटवारी महोदय, पटवार हल्का बलाडा, तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 12/10/2020

उपस्थितः. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रार्थीया।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 30/09/2021**

वकील मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलाडा पटवार हल्का बलाडा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास (हाल भू अभिलेख निरीक्षक बलाडा) तहसील जैतारण जिला पाली राज0 की सीमा मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 751 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल के खातेदार काश्तकार सायला तथा गैरसायलान संख्या 1 से 5 के पिता व गैरसायलान् संख्या 6 के पति बक्साराम पुत्र भंवरूराम जाति बावरी निवासी बलाडा थे जिनका हक हिस्सा व अधिकार उक्त भूमि में 1/3 का 1/3 वां हिस्सा यानि 1/9 वां हिस्सा था। जिसको प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी के नाम विनिर्दिष्ट किया जायेगा। नकल चालू जमाबंदी संवत 2073 से 2076 की प्रमाणित प्रति साथ पेश है। विवादित आराजी के तत्कालीन खातेदार काश्तकार गैरसायलान् संख्या 1 से 5 के पिता व गैरसायलान् संख्या 1 के पति बक्साराम पुत्र भंवरूराम को पारिवारिक प्रबन्ध हेतू एवं अन्य निजी जरूरत हेतू रूपये की आवश्यकता होने पर सायला को अपने हक अधिकार एवं खातेदारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

1/9 हिस्से की भूमि मे से 42/59 वां हिस्से की भूमि का जरिये रजिस्टर्ड शैलडीड के प्रतिफल की राशि 12,000 अक्षरे बारह हजार रूपये सायला से रोकड़ प्राप्त कर दिनांक 20/06/2014 को हस्तान्तरण कर दी और मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया, तब से लेकर आज दिन तक सायला अपनी खरीद सुदा विवादित आराजी एवं सायला की उक्त खसरा नम्बर की भूमि मे अपनी खातेदारी की भूमि पर बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 20/06/2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि इस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। विवादित आराजी तत्कालीन खातेदार बक्साराम पुत्र भंवरूराम ने जरिये रजिस्टर्ड शैलडीड के सायला को अपने हक हिस्से की भूमि मे से 42/59 वां हक हिस्से को हस्तान्तरित कर दिया परन्तु राजस्व विभाग द्वारा बिना कोई आधार के एवं बिना सक्षम आदेश के सहवन से एवं भूल से पुनः बक्साराम पुत्र भंवरूराम के वारिसान गैरसायलान् संख्या एक से छह के नाम म्युटेशन संख्या 3451 दिनांक 09/06/2017 को स्वीकृत कर दिया गया जो कि कानून की निगाह मे एक रोंग एन्ट्री है एवं अवैध व खिलाफ कानून है तथा सायला के विरूद्ध निष्प्रभावी है। इसलिए म्युटेशन संख्या 3451 को निरस्त करवाने व सायला के नाम राजस्व रेकर्ड मे माफिक रजिस्टर्ड बेचान दनिांक 20/06/2014 के आधार से बतौर खातेदारी इन्द्राज करवाने हेतू यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ गैरसायलान् श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। म्युटेशन संख्या 3451 दिनांक 09/06/2017 की प्रमाणित प्रति साथ पेश है। सायला ने वादग्रस्त आराजी के खातेदार गैरसायलान् संख्या 7 भीमा पुत्र भंवरू से पूर्व मे उसके हक हिस्से की भूमि मे से 5/61 हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड शेलडीड के खरीद की जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 3790 दिनांक 05/09/2019 को राजस्व रेकर्ड मे सायला का नाम बतौर खातेदार के इन्द्राज किया गया था। परन्तु बक्सा पुत्र भंवरू से उसके हक हिस्से की भूमि मे से 42/59 वां हिस्सा सायला ने जरिये रजिस्टर्ड शेलडीड के खरीद किया। जिसकी फोटो प्रति हल्का पटवारी को सायला के नाम म्युटेशन पारित करने बाबत् दी थी परन्तु आज तक सायला के नाम राजस्व रेकर्ड मे जरिये म्युटेशन के इन्द्राज नही किया गया और बाद मे उक्त बक्सा पुत्र भंवरू का देहान्त होने पर सायला द्वारा बक्सा पुत्र भंवरू से खरीद की गई भूमि मे भी बक्सा पुत्र भंवरू के वारिसान का नाम जरिये फौतेदगी म्युटेशन 3451 दिनांक 09/06/2017 को पारित कर दिया गया जो म्युटेशन संख्या 3451 अवैध व शून्य एवं सायला के हक अधिकारो के [illegible] प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा म्युटेशन संख्या [illegible]51 [illegible]स्त/निरस्त करने एवं सायला को बक्सा पुत्र भंवरू से खरीद सुदा कब्जा [illegible] हक अधिकार की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया [illegible] मे इन्द्राज किये जाने बाबत् प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषण[illegible]का पेश है। दिनांक 27/08/2020 को सायला ने गैरसायलान् को अपनी खरीद सुदा कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज करवाने का कहने पर गैरसायलान् स्पष्ट इन्कार हुए एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सायला को ऐलानिया धमकी दी कि आपकी खरीद सुदा कब्जा सुदा कृषि भूमि के कराजस्व रेकर्ड मे हमारा नाम दर्ज हो गया है इसलिए आप उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा ले अन्यथा आपको बेकाबिज कर विवादित आराजी को रहन बेचान हस्तान्तरण कर देगे तब सायला ने अपनी खरीद सुदा खातेदारी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड बाबत् पटवारी हल्का से जानकारी दिनांक 04/09/2020 को प्राप्त की तब सर्वप्रथम बार यह ज्ञात हुआ कि उक्त रजिस्टर्ड शैलडीड दिनांक 20/06/2014 के आधार से सायला के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही किया गया है और बक्साराम पुत्र भंवरूराम के फौत होने पर उनके वारिसान गैरसायलान् संख्या एक से छह के नाम सायला की खरीद सुदा कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि मे अवैध व खिलाफ कानून बिना मौके एवं रेकर्ड की जांच किये फौतेदगी म्युटेशन के आधार पर गलत गलत रोंग एन्टी का इन्द्राज कर दिया जिसका यदि गैरसायलान् नाजायज फायदा उठाकर अपने उक्त नापाक कृत्यो मे सफल हो जाते है एवं सायला को उसके खातेदारी व खरीद सुदा एवं कब्जे काश्त तथा उपयोग उपभोग की भूमि से बेदखल कर देते है एवं राजस्व रेकर्ड मे गैरसायलान् संख्या एक से छह का विधि विरूद्ध म्युटेशन संख्या 3451 के जरिये गलत एवं अवैध इन्द्राज के आधार पर उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते है तो सायला अपने खातेदारी हक हकूको एवं अधिकारो से हमेशा हमेशा के लिये महरूम हो जायेगी एवं सायला गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे अवैध कृत्यो का विरोध करेगी तो मौके पर वाद विवाद होगा एवं विविध प्रकार की मुकदमेबाजी तथा पेचीदगिया बढेगी इसलिए गैरसायलान् के ऐसे अवैध कृत्यो को रोकने के लिये सायला के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो एवं दस्तावेजात तथा मौके पर सायला का उसके हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा काश्त से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायला के पक्ष मे है यदि गैरसायलान् राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अपने गलत नाम का फायदा उठाकर उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते है एवं सायला को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देते है तो सायला को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं सायला अपने खातेदारी काश्तकारी जायज हक हकूको एवं अधिकारो से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगी एवं सायला गैरसायलान द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो का मौके पर [illegible] झगडा वाद विवाद होगा एवं मल्टी प्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिंग्स् [illegible] विविध प्रकार की पेचीदगीया पैदा होगी एवं सायला खर्चे से जेरबार हो [illegible] इसलिए गैरसायलान् द्वार किये जा रहे जा रहे गैरकानूनी [illegible] बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्[illegible] निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे से सायला के हक हिस्से व अधिकार एवं बंट की भूमि का अपनी मनमर्जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

अनुसार उपयोग उपभोग करे एवं काम मे लेवे तो गैरसायलान् उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट रिश्तेदार आदि किसी प्रकार से दखल व दस्तन्दाजी नही करे एवं सायला को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल नही करे एवं उक्त भूमि का किसी अन्य को रहन बेचान हस्तान्तरण आदि नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायलान् को वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक रोका जाकर पाबन्द फरमावे । प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई सहायता सायला प्राप्त करने का अधिकारी हो दिलायी जावे।

इस पर प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** वाद-पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया/वादीया ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 20/06/2014 के आधार पर एक वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 20/06/2014 की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया ने दिनांक 20/06/2014 को विक्रेता बक्शा पुत्र भंवरू के वादग्रस्त आराजी में 1/9 हिस्से में से 42/59 वां हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेचान क्रय किया। अतः वादग्रस्त आराजी के तत्कालीन सह-खातेदार द्वारा अपने 1/9 हिस्से में से 42/59 वां हिस्से के खातेदारी अधिकारों को विधिवत रूप से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा हस्तांतरण प्रार्थी के पक्ष मे कर दिया था। नामांतरण पंजीका एवं जमाबंदी (संवत् 2073-2076 ग्राम बलाडा) में अंकित नोट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नामांतरण संख्या 3451 द्वारा बक्शा पुत्र भंवरू का फौतेदगी नामांतरण बक्शा के वारिसानों के पक्ष में भरा गया। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि भू-अभिलेख में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर वादग्रस्त आराजी का आगे हस्तांतरण होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है जिससे [illegible] अनावश्यक जटिलता एवं प्रार्थीया को सुगम न्याय निर्णयन में [illegible] हित [illegible] विलंब होगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी[illegible] पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** चुंकि प्रथम बिंदू प्रार्थीया के पक्ष [illegible] साबित हुआ है एवं हस्तगत प्रार्थना-पत्र में शपथ-पत्र पर यह कथन किया है कि रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 20/06/2014 से लेकर आज दिनांक तक सायला मौके पर अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seervi
Date: 2021.10.26 17:34:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

खरीदसुदा आराजी पर काबिज होकर शांतिपूर्वक बिना रोक-टोक उपभोग-उपयोग करती चली आ रही है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः-** प्रथम दोनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित होते है एवं इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि भू-अभिलेख में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी द्वारा अंकित हिस्से का आगे हस्तांतरण हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित ही प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हम प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भांति साबित होने व सारवान होने से स्वीकार करना उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीया विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 20/06/2014 में अंकित हिस्से का बेचान, रहन एवं हस्तान्तरण न करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 30/09/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:46 IST
Reason: SelfAttested